उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-974/नौ-1-2023-03निर्वा0/2022
लखनऊः दिनांक 09 अप्रैल, 2023

<u>अधिसूचना</u>

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 17 नगर निगमों के 'महापौर' पद के आरक्षण के संबंध में निर्गत अनन्तिम अधिसूचना संख्या-706/9-1-2023-03निर्वा0/2022, दिनांक 30 मार्च, 2023 के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए, नगर निगमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला के लिए 'महापौर' के स्थान निम्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित आवंटित किए जाते हैं:-

<u>अनुसूची</u>

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नगर निगम का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1	आगरा	नगर निगम, आगरा	अनुसूचित जाति महिला
2	झांसी	नगर निगम, झांसी	अनुसूचित जाति
3	शाहजहाँपुर	नगर निगम, शाहजहाँपुर	पिछड़ा वर्ग महिला
4	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	पिछड़ा वर्ग महिला
5	सहारनपुर	नगर निगम, सहारनपुर	पिछड़ा वर्ग
6	मेरठ	नगर निगम, मेरठ	पिछड़ा वर्ग
7	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	महिला
8	कानपुर	नगर निगम, कानपुर	महिला
9	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	महिला
10	वाराणसी	नगर निगम, वाराणसी	अनारक्षित
11	प्रयागराज	नगर निगम, प्रयागराज	अनारक्षित
12	अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	अनारक्षित
13	बरेली	नगर निगम,बरेली	अनारक्षित
14	मुरादाबाद	नगर निगम, मुरादाबाद	अनारक्षित
15	गोरखपुर	नगर निगम,गोरखपुर	अनारक्षित
16	अयोध्या	नगर निगम, अयोध्या	अनारक्षित
17	मथुरा, वृन्दावन	नगर निगम, मथुरा, वृन्दावन	अनारक्षित

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

el go

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक अप्रैल, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियॉ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ।

(2) निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0, लखनऊ को इस अधिसूचना की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि उसे प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 01 दैनिक समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराकर उसकी प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) मण्डलायुक्त,आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/ मथुरा/ अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर,उ0प्र0।

(5) जिलाधिकारी आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद /मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहॉपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

(6) नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहॉपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करायें

(7) वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

el go